हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

अगस्त सत्र 2023

कार्य सूची

28th अगस्त, 2023

11:00:00

1. प्रश्न

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

2. शून्य काल

3. <u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

(1)

अल्पावधि चर्चा संख्या 2 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-43, में परिवर्तित कर दिया हैजिसकी सूचना-(i) **श्री राव दान सिंह, एम.एल.ए.,(ii) श्री आफ़ताब अहमद, एम.एल.ए तथा(iii) श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए,** द्वारा दी गई है	दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बाजरे की फसल के बहुत भारी नुक्सान से संबंधित सूचना।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-26श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्या भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-45श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

4. <u>वर्ष 2011 – 12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान</u> ।

(1)

वित्त मंत्री	वर्ष 2011– 12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों को प्रस्तुत करेंगें ।

<u>1.वर्ष 2011– 12 के लिए मांगें</u>

मांगसंख्या 17	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **रोजगार** के संबंध में वर्ष 2011-12 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 49,99,000 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए ।	वर्ष 2011-12 के अनुदानों औरविनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 1
मांग संख्या 24	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2011-12 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 254,64,41,437 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2011-12 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 2

2.वर्ष 2012— 13 के लिए मांगें

मांग संख्या 6	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **वित्त** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 126,52,84,230 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2012-13 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 7
मांग संख्या 21	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **महिला एवं बाल विकास** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 4,17,26,000 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2012-13 के अनुदानों औरविनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 8
मांग संख्या 24	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 275,22,73,407 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2012-13 के अनुदानों औरविनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 9
मांग संख्या 38	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति** के संबंध में वर्ष 2012-13 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 12,93,67,512 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2012-13 के अनुदानों औरविनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 10

3.वर्ष 2013— 14 के लिए मांगें

मांग संख्या 6	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **वित्त** के संबंध में वर्ष 2013-14 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 110,37,81,539 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2013-14 के अनुदानों औरविनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 13
मांग संख्या 24	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2013-14 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 213,26,30,784 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2013-14 के अनुदानों औरविनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 14

4.वर्ष 2014— 15 के लिए मांगें

मांग संख्या 24	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2014-15 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 402,89,46,351 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2014-15 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 17

5.वर्ष 2015— 16 के लिए मांगें

मांग संख्या 4	एक मंत्री	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि **राजस्व** के संबंध में वर्ष 2015-16 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 1199,24,88,219 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2015-16 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 23
मांग संख्या 24	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2015-16 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 210,99,94,493 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2015-16 के अनुदानों औरविनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 24

6.वर्ष 2016— 17 के लिए मांगें

मांग संख्या 14	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **शहरी विकास** के संबंध में वर्ष 2016-17 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 91,73,870 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2016-17 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 31
मांग संख्या 24	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2016-17 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 176,99,17,561 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2016-17 के अनुदानों औरविनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 32

7.वर्ष 2017— 18 के लिए मांगें

मांग संख्या 6	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **वित्त** के संबंध में वर्ष 2017-18 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹375,59,93,011 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2017-18 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 35
मांग संख्या 24	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि **सिंचाई** के संबंध में वर्ष 2017-18 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹91,12,11,135 तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2017-18 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेंपृष्ठ 36

5. वर्ष **2023-2024** के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(1)

वित्त मंत्री 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

(2)

चेयरपर्सन,प्राक्कलन समिति 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6. 2023-2024के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त)।

(1)

1. राज्य के राजस्वपर प्रभारित व्यय केअनुमानों पर चर्चा।
2. अनुपूरक अनुदानोंके लिए मांगों पर चर्चातथा मतदान।

मांगसंख्या 1	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹97,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **1-विधान सभा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 1-2
मांगसंख्या 2	एक मंत्री	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹50,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **2- राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने 3-6 के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 3-6
मांगसंख्या 3	एक मंत्री	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹2,01,00,000 से अधिक न हो, मांग संख्या **3- सामान्य प्रशासन / निर्वाचन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 7-9
मांगसंख्या 4	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो अनुपूरक राजस्व खर्च के लिए ₹774,29,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹30,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **4 - राजस्व और आपदा प्रबन्धन/ अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/ आबकारी एवं कराधान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 10-

मांगसंख्या 5	एक मंत्री	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹2,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **5- <u>गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा / जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन / एजीओटी कानूनी सेवा प्राधिकरण)</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	16 अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 17-19
मांग संख्या 6	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹150,20,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹150,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **-6 <u>वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण / आपूर्ति एवं निपटान / आयोजना तथा सांख्यिकी (डी.ई.एस.ए)</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 20-23
मांग संख्या 7	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹160,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 7- **<u>राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 24-25
मांग संख्या 10	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो अनुपूरक राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹400,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **10- <u>कृषि एवं किसान कल्याण / बागवानी / पशुपालन और डेयरी विकास / मत्स्य पालन / खान एवं भूविज्ञान / पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 26-28
मांग संख्या 11	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹31,00,000 से अधिक न हो, मांग संख्या 11- **<u>सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 29-31
मांगसंख्या12	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹137,64,00,000 तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹892,37,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **12- <u>शिक्षा (माध्यमिक / प्राथमिक) / उच्चतर (उच्चतर / तकनीकी / विज्ञान शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी) / महिला एवं बाल विकास</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 32-49
मांगसंख्या14	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹259,15,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹171,17,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **14- <u>स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान / आयुष / खाद्य एवं औषधि प्रशासन</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 50-55
मांगसंख्या15	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹24,06,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **15- <u>श्रम / युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले)</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 56-58
			अनुपूरक

मांगसंख्या16	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1268,90,20,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **16- <u>सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछडे वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय (एस. ई.डब्ल्यू.ए.)/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 59-67
मांगसंख्या17	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹500,00,00,000/- से तथा एक पूंजीगत खर्च के लिए ₹852,03,00,000/- अधिक न हो, मांग संख्या **17- <u>लोक निर्माण (भवन व सड़के) / परिवहन / नागर विमानन</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 68-73
मांगसंख्या 19	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 19-**<u>ऊर्जा विभाग (विद्युत / नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) / उद्योग एवं वाणिज्य /एम एस एम ई / सिंचाई एवं जल संसाधन</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 74-77
मांगसंख्या 20	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1003,02,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹2444,79,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या-**20 <u>नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा (शहरी विकास) / शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) / विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास) / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2023-24 (प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 78-90

7. <u>हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही का परिशिष्ट</u>

(1) **लोक ऋण अधिनियम, 1944 एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में संशोधन के निरसन के लिए सरकारी संकल्प**। एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे- "कि हरियाणा विधान सभा का मानना है कि राज्यों के लोक ऋणों और इससे संबंधित या आनुषंगिक और प्रासंगिक सभी मामलों का विनियमन करने हेतु सम्पूर्ण भारत में समान विधि होना वांछनीय है;

और चूंकि, 2006 में, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा इसके प्रबन्धन से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) अधिनियमित किया। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय

अधिनियम 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) कथित करती है कि यह अधिनियम ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों को लागू होता है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् सृजित और निर्गमित की गई हैं। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 की उप-धारा (1) उपबन्ध करती है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का उन सरकारी प्रतिभूतियों को जिनको यह अधिनियम लागू होता है, और सभी मामलों को भी, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किए गए हैं, लागू होना समाप्त हो जाएगा। तथापि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) लागू रहेगा;

और चूंकि, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु मामले की जांच की गई तथा यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कतिपय प्रतिभूतियां/मदें भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में इस अधिनियम के अधीन अब तक बकाया हैं। इसलिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) का निरसन करने हेतु, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के ऐसे उपबन्धों को सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक लाने के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) के अधीन उन्हें सम्मिलित करते हुए प्रभाव देना अपेक्षित है। तदनुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में निम्नलिखित मुख्य संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में विचाराधीन है,-

(1) जम्मू और कश्मीर राज्य, जहां भी यह भूतपूर्व राज्य की वर्तमान स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में प्रतीत होता है, जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 34) के माध्यम से दो केन्द्र शासित प्रदेशों को मान्यता दी गई है, के संदर्भ का लोप करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 1 में संशोधन करने हेतु;

(2) विनिर्दिष्ट रूप से उनकी गैर-अन्तरणीयता को व्यावृत्त करने के लिए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की विशेषताओं को सम्मिलित करने के लिए, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 2 में यथा उपबन्धित ''सरकारी प्रतिभूति'' की परिभाषा को संशोधित करने हेतु और धारा 5 को भी संशोधित करने हेतु; तथा

(3) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) को निरसित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु और लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन की गई कतिपय कार्रवाईयों/ बकाया मदों की व्यावृत्ति के लिए भी उपबन्ध करने हेतु सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 31 तथा धारा 35 को संशोधित करने हेतु;

और चूंकि, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की विषय-वस्तु भी राज्य सूची में प्रविष्टि से संबंधित है, यह संकल्प किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के उपबन्धों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 38) में आवश्यक संशोधन किया जाए;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह सभा, इसके द्वारा, संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित मामलों और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक या प्रासंगिक सभी अन्य मामलों को विधि द्वारा विनियमित करने के लिए संसद को सशक्त किया जाए।"

8. <u>विधायी कार्य</u>

(1) (**विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक**)

(i)

श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए. एवं श्री वरुण	प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन हरियाणा नगर निगम (संशोधन), अध्यादेश 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), 12 मई, 2023 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा यथा लागू का

	चौधरी, एम.एल.ए	निरनुमोदन करता है।
(ii)		
	हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023.	**एक मंत्री** यह प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
(iii)		
	हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023.	**एक मंत्री** प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
(iv)		
	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023.	**एक मंत्री** प्रस्तावकरेंगे कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(2) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

(i)			
	हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
(ii)			
	हरियाणा वाद्य (शोर-नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023	एक मंत्री	हरियाणा वाद्य (शोर-नियन्त्रण) निरसन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
(iii)			
	हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023	एक मंत्री	हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।
(iv)			
	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023	एक मंत्री	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

राजेन्द्र कुमार नांदल
सचिव
हरियाणा विधान सभा

Chandigarh-160001
दिनांकः२७ अगस्त २०२३